प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

बुद्ध सिंह*

शुभांगी वर्मा**

समाज के प्रत्येक तबके के समुचित विकास के लिए विभिन्न शैक्षिक योजनाओं के साथ बहुलतायुक्त समाज की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की तरफ गम्भीरता से ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में यह एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हाशिए पर पड़े हुए बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण कैसा है? क्योंकि अगर अध्यापकों का समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति सामान्य होगी तो 'सबके लिए शिक्षा' के लक्ष्य को सफल बनाया जा सकता है। इस अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है। इस शोध कार्य में उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले के अकबरपुर शहर के प्राथमिक विद्यालयों में से कुल एक सौ बीस महिला व पुरूष अध्यापकों को यादृच्छिक विधि से चुना गया। प्रस्तुत शोध समस्या के अध्ययन हेतु मापन उपकरण के रूप में डॉ. विशाल सूद और डॉ. आरती सूद द्वारा निर्मित समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति मापनी का उपयोग किया गया हैं। आँकड़ों के विश्लेषण के लिए मध्यमान, मानक विचलन व टी–परीक्षण का उपयोग किया गया। शोध के परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकतर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति सामान्य से ऊपर अनुकूल और अत्यधिक अनुकूल है।

शिक्षा मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों को निखारती है फलस्वरूप वह अपनी समस्याओं का समाधान करता है, जीवन को आनन्दमय बनाता है, जनकल्याण के कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है तथा समाज में स्वयं को प्रभावशाली ढंग से समायोजित करता है। प्रारम्भ से ही समाज में कुछ लोगों का वर्चस्व रहा है, जिसके कारण उन्होंने अधिकारों, सुविधाओं व संसाधनों का भरपूर लाभ उठाया। परन्तु समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जैसे– दिव्यांग बालक, महिलाएँ, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वंचित समूह के लोग अधिकारों व संसाधनों के अभाव में शिक्षा सहित अनेक सुविधाओं से वंचित होना पड़ा। ऐसे व्यक्ति जिन्हें सदियों से शिक्षा से वंचित रखा गया हो, वे अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाये, अतः वह दूसरों पर निर्भर रहने लगे, हीन भावना का शिकार होने लगे और उनका जीवन निराशा से भर गया।

प्रारम्भ में विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। उनके लिए अलग से विद्यालयों की स्थापना की गयी थी। परन्तु उनकी स्थिति में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए यह आवश्यकता सामने आयी कि विशेष आवश्यकता वाले बालक/बालिकाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षित किया जाये क्योंकि 'जो बालक एक साथ पढ़ते है वह एक साथ रहना भी सीखते है (सलमान का कथन, 1994)। इस प्रकार समावेशी शिक्षा की विचारधारा उत्पन्न हुई।

समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बालक की चाहे वो विशेष हो या सामान्य, बिना किसी भेदभाव के एक साथ, एक ही विद्यालय में, सभी आवश्यक तकनीकों व सामग्रियों के साथ सीखने–सिखाने की जरूरतों को पूरा किया जाए। यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें

* सहायक प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र विभाग, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

** एम0एड0 छात्रा, शिक्षाशास्त्र विभाग, डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

विद्यालय सभी बालकों की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, भाषाई व अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह व्यवस्था दिव्यांग बालक, प्रतिभाशाली बालक, गलियों या सड़कों पर रहने वाले बालक, काम करने वाले बालक, दूरस्थ या खानाबदोश आबादी के बालक, जातीय, भाषायी या संस्कृति अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर या हाशिए पर आए बालक या समूह को शामिल करती है (विश्व शिक्षा मंच, 2000)। समावेशी शिक्षा एक विकासात्मक उपागम है जो सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सिद्धान्त पर कार्य करती है। समावेशी शिक्षा अधिगमकर्ताओं के गुणात्मक शिक्षा के मौलिक अधिकार पर आधारित है, जो आधारभूत शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके जीवन को समृद्ध बनाती है। अति संवेदनशील एवं सीमान्त समूहों को ध्यान में रखते हुए यह प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का पूर्ण विकास करती है।

समावेशी गुणात्मक शिक्षा का परम ध्येय सभी प्रकार के विभेदीकरण को समाप्त करके सामाजिक संगठन का पोषण करना है (यूनेस्को, 2008)। यह सभी बालकों, युवाओं एवं वयस्कों, जो कि उपेक्षा एवं बहिष्कार के कारण अतिसंवेदनशील हैं, की अधिगम आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देती है (यूनेस्को 2003)।

अतः समावेशी शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, जहाँ विद्यालय अपने संसाधनों का इस प्रकार विस्तार करता है कि सभी विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। समावेशन के लिए समाज व अभिभावकों का सहयोग भी अति आवश्यक है, ताकि शैक्षिक व सामाजिक समावेश को एक साथ विकसित किया जा सके। हालांकि समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों प्रशासकों, अभिभावकों आदि का नजरिया काफी सकारात्मक हुआ है। परन्तु फिर भी इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक देश समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देने लगा है। इसी क्रम में भारत ने भी इस नीति को अपनाने पर जोर दिया। समावेशी शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट होने के पहले से ही भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा–दीक्षा विशेष शिक्षकों द्वारा विशेष विद्यालयों में विशेष शैक्षिक गतिविधियों और पाठ्यक्रम के द्वारा दी जा रही है। शिक्षण की यह प्रणाली विशेष शिक्षा कहलाती है। फिर उसके बाद सुधार स्वरूप एकीकृत शिक्षा प्रणाली की धारणा सामने आयी, जहाँ पर विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का प्रतिदिन कुछ समय सामान्य विद्यालयों में बिताने का अवसर दिया जाता है। समावेशी शिक्षा, विशेष एवं सामान्य शिक्षा में मूलभूत सुधार की कल्पना है, जिसके अन्तर्गत पाठ्यचर्या, शिक्षण पद्धति व मूल्यांकन में लचीलापन, बाधारहित विद्यालयीय वातावरण और माता–पिता व समुदाय का सहयोग सम्मिलित है।

वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का समर्थन करती है। समावेशी शिक्षा विभिन्न शिक्षा प्रणाली जैसे– विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और सामान्य शिक्षा के बीच के अन्तर को न केवल दूर करती है अपितु यह हमारी शिक्षा पद्धति में बहिष्कार और भेदभाव की समस्या को भी खत्म करती है। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता अक्षम बालकों में व्याप्त हीनता, कुंठा की समाप्ति के लिए भी है। प्रायः समाज में अक्षम एवं दिव्यांग बालकों के प्रति दीनता का भाव रखा जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि ऐसे बालकों को अपनी शक्ति व सामर्थ्य का बोध कराया जाना चाहिए, जिससे उनमें आत्मविश्वास जागृत होगा। उनको यह बोध कराया जाना चाहिए कि वे भी सामान्य बालकों की तरह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बाधित बालकों को अनुकूल वातावरण में सार्थक शिक्षा प्रदान करने से है ताकि बालकों का समुचित विकास हो

और वे जीवनमार्ग पर सफल हो सकें। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षक एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति है। समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाले अध्यापक ही समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं (कालिता, 2017)। जहाँ तक समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों के ज्ञान का प्रश्न है, वे इससे सम्बन्धित सरकारी नीतियों और योजनाओं के बारे में अस्पष्ट जानकारी रखते हैं। विद्यालय के शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के बारे में भी ठीक से ज्ञान नहीं है तथा समावेशी शिक्षा का समप्रत्यय भी उन्हें स्पष्ट नहीं है (बेलापुरकर व पाठक, 2008)। भारत में समावेशी शिक्षा के प्रति और अधिक संवेदनशीलता तथा इससे सम्बन्धित तकनीकी की महती आवश्यकता है। शिक्षा के अधिकार को वास्तविक रूप में सफल बनाने हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षा को समावेशी प्रकृति का बनाया जाए। कक्षा–कक्ष के वातावरण में सुधार तथा अक्षम बच्चों के लिए पर्याप्त तकनीकी व्यवस्था समावेशन के लिए पूर्व आवश्यकताएँ हैं (शर्मा व चूनावाला, 2009)। भारत में समावेशी शिक्षा को लागू करने में अनेक बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु इस हेतु प्रयास अनवरत् जारी है, क्योंकि इससे मिलने वाले लाभ ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं। आज शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा के साथ–साथ अन्य क्षेत्रों में भी सुधार करने की आवश्यकता है। साक्षर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शिक्षा में समावेशन आज की महती आवश्यकता है (सिंह एवं नामदेव, 2014)।

अगर सामान्य बालक और विशेष आवश्यकता वाले बालक एक साथ शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनमें घृणा एवं द्वेष की भावना समाप्त होगी और एक साथ पढ़ने से उनमें एक साथ रहने की भावना का विकास होगा। ऐसे में समावेशी शिक्षा को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2014 में मुख्य विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। ताकि समावेशी शिक्षा के प्रति भावी अध्यापकों में सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित किया जा सके और समावेशन के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। दूसरे शब्दों में अध्यापक समावेशी शिक्षा की सफलता का सूत्रधार है। अतः समावेशी शिक्षा के प्रति उनकी अभिवृत्ति जानना अति आवश्यक है। चूंकि समावेशी शिक्षा मुख्यतः आधारभूत शिक्षा से सम्बन्धित है, इसलिए इस शोध–पत्र में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है।

प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण

प्राथमिक अध्यापक – कक्षा एक से पाँच तक की शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापकों को प्राथमिक अध्यापक कहते हैं।

समावेशी शिक्षा – समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसके अन्तर्गत सामान्य और विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को एक सामान्य विद्यालय की सामान्य कक्षा में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। अर्थात् विद्यालय बच्चों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने संसाधनों का विस्तार करता है ताकि हर बच्चे की अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

अभिवृत्ति – साधारण अर्थ में अभिवृत्ति व्यक्ति के मन की एक दशा होती है, जिसके द्वारा वह समाज की विभिन्न परिस्थितियों, वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के प्रति विचार एवं मनोभाव को प्रकट करता है।

अध्ययन के उद्देश्य

- प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
- महिला व पुरूष प्राथमिक अध्यापकों का समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- सरकारी व निजी विद्यालयों के प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- सरकारी तथा निजी विद्यालयों के पुरुष प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- सरकारी तथा निजी विद्यालयों की महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- सरकारी विद्यालयों के पुरुष तथा महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- निजी विद्यालयों के पुरुष तथा महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना

- महिला तथा पुरुष प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- सरकारी तथा निजी विद्यालयों के प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- सरकारी तथा निजी विद्यालयों के पुरुष प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- सरकारी तथा निजी विद्यालयों की महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- सरकारी विद्यालयों के पुरुष तथा महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- निजी विद्यालयों के पुरुष तथा महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है। इस शोध कार्य में उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले के अकबरपुर शहर के साठ प्राथमिक विद्यालयों, जिसमें तीस सरकारी तथा तीस निजी विद्यालयों को यादृच्छिक विधि से प्रतिदर्श के रूप में चुना गया। इसके पश्चात् प्रत्येक विद्यालय में से एक महिला व एक पुरूष अध्यापक को यादृच्छिक विधि से चुना गया। प्रस्तुत शोध समस्या के अध्ययन हेतु मापन उपकरण के रूप में डॉ. विशाल सूद और डॉ. आरती सूद द्वारा निर्मित समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति मापनी का उपयोग किया गया है जिसमें कुल सैंतालिस वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। प्रश्नों की प्रकृति समोवशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों के सोच, विचार एवं उनके व्यवहार से सम्बन्धित है। आँकड़ों के विश्लेषण के लिए मध्यमान, मानक विचलन व टी–परीक्षण का उपयोग किया गया।

सारणी क्रमांक–1ः प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का प्रतिशत

क्र.	वर्गीकरण	स्कोर	अध्यापकों की संख्या	अध्यापकों का प्रतिशत
1	अत्यन्त अनुकूल अभिवृत्ति	127.141	19	15.83%
2	अत्यधिक अनुकूल अभिवृत्ति	116.126	52	43.33%
3	सामान्य से ऊपर अनुकूल अभिवृत्ति	105.115	35	29.17%
4	सामान्य अभिवृत्ति	90.104	13	10.83%
5	सामान्य से नीचे प्रतिकूल अभिवृत्ति	80.89	1	0.83%
6	अत्यधिक प्रतिकूल अभिवृत्ति	69.79	0	0%
7	अत्यंत प्रतिकूल अभिवृत्ति	68 से कम	0	0%
	कुल		120	100%

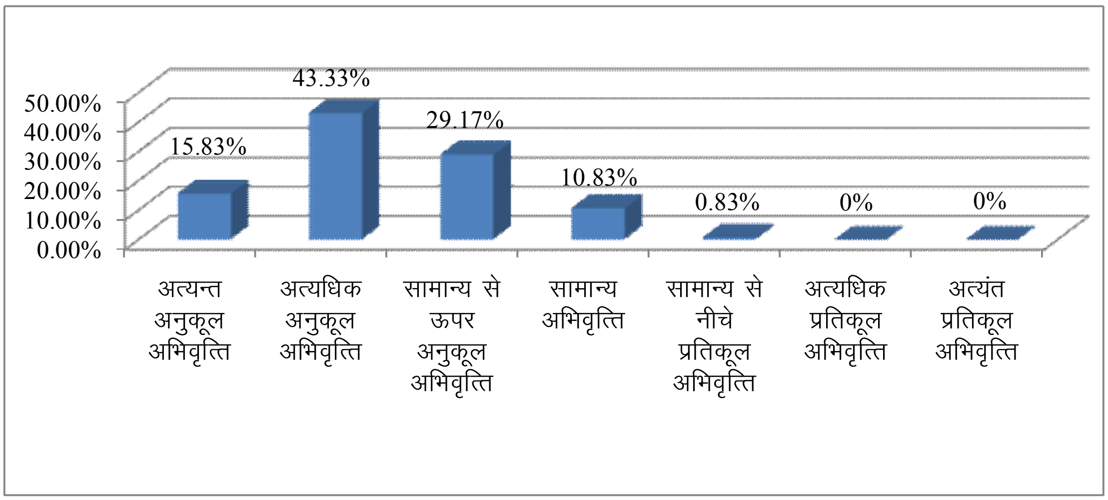

आरेख संख्या–1 प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का प्रतिशत

सारणी क्र. 1 व आरेख संख्या 1 प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के विभिन्न स्तर का वर्णन करती हैं। जिसमें अत्यन्त अनुकूल अभिवृत्ति के 15.83 प्रतिशत, अत्यधिक अनुकूल अभिवृत्ति के 43.33 प्रतिशत, सामान्य से ऊपर अनुकूल अभिवृत्ति के 29.17 प्रतिशत, सामान्य अभिवृत्ति के 10.83 प्रतिशत तथा सामान्य से नीचे प्रतिकूल अभिवृत्ति के 0.83 प्रतिशत अध्यापक हैं। हालांकि अत्यधिक प्रतिकूल व अत्यंत प्रतिकूल अभिवृत्ति किसी अध्यापक में नहीं पाई गई। इसका अभिप्राय यह है कि अधिकतम अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति सामान्य व उससे अच्छी है।

परिकल्पना परीक्षण

परिकल्पना–1: महिला तथा पुरुष प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी क्रमांक –2: महिला तथा पुरुष प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को दर्शाने वाला टी.अनुपात

प्रतिदर्श आधार	प्रतिदर्श संख्या	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	टी. अनुपात
महिला	60	119.17	10.19	2.03*
पुरुष	60	115.22	11.13	

*सार्थकता स्तर 0.05 पर

सारणी क्रमांक 2 से स्पष्ट है कि महिला प्राथमिक अध्यापकों का मध्यमान 119.17 तथा मानक विचलन 10.19 है और पुरुष प्राथमिक अध्यापकों का मध्यमान 115.22 तथा मानक विचलन 11.13 है। टी.परीक्षण से प्राप्त टी.अनुपात 2.03 है, जो 0.05 के सार्थकता स्तर के अनुपात 1.98 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना 'महिला तथा पुरुष प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है', निरस्त की जाती है।

इस परिकल्पना का विश्लेषण करके यह पाया गया कि महिला तथा पुरुष प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में अंतर है। शोध में पाया गया कि पुरूष प्राथमिक अध्यापकों की तुलना में महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति अच्छी है।

परिकल्पना–2: सरकारी तथा निजी विद्यालयों के प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी क्रमांक–3: सरकारी तथा निजी विद्यालयों के प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को दर्शाने वाला टी.अनुपात

प्रतिदर्श आधार	प्रतिदर्श संख्या	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	टी.अनुपात
सरकारी अध्यापक	60	116.90	11.61	0.297*
निजी अध्यापक	60	117.48	9.64	

*सार्थकता स्तर 0.05 पर

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि सरकारी विद्यालयों के प्राथमिक अध्यापकों का मध्यमान 116.90 तथा मानक विचलन 11.61 है और निजी विद्यालयों के प्राथमिक अध्यापकों का मध्यमान 117.48 तथा मानक विचलन 9.64 है। टी.परीक्षण से प्राप्त टी.अनुपात 0.297 है, जो 0.05 के सार्थकता स्तर के मूल्य 1.98 से कम है। अतः 'सरकारी तथा निजी विद्यालयों के प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है', स्वीकृत की जाती है।

इस परिकल्पना का विश्लेषण करके यह पाया गया कि सरकारी तथा निजी विद्यालयों के प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है। अतः इससे स्पष्ट है कि सरकारी तथा निजी विद्यालयों के प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति समान है।

परिकल्पना–3: सरकारी तथा निजी विद्यालयों के पुरुष प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी क्रमांक–4: सरकारी तथा निजी विद्यालयों के पुरुष प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को दर्शाने वाला टी.अनुपात

प्रतिदर्श आधार	प्रतिदर्श संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी.अनुपात

		(M)	(SD)	
सरकारी पुरुष अध्यापक	30	113.93	12.36	0.895*
निजी पुरुष अध्यापक	30	116.5	9.73	

*सार्थकता स्तर 0.05 पर

सारणी क्रमांक 4 से स्पष्ट है कि सरकारी विद्यालयों के पुरुष प्राथमिक अध्यापकों का मध्यमान 113.93 तथा मानक विचलन 12.36 है तथा निजी विद्यालयों के पुरुष प्राथमिक अध्यापकों का मध्यमान 116.5 तथा मानक विचलन 9.73 है। टी.परीक्षण से प्राप्त टी.अनुपात 0.895 है, जो 0.05 के सार्थकता स्तर के मूल्य 2.04 से कम है। अतः 'सरकारी तथा निजी विद्यालयों के पुरुष प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है', स्वीकृत की जाती है।

इस परिकल्पना का विश्लेषण करके यह पाया गया कि सरकारी तथा निजी विद्यालयों के पुरुष प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है। अतः इससे स्पष्ट है कि सरकारी तथा निजी विद्यालयों के पुरुष प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति समान है।

परिकल्पना–4: सरकारी तथा निजी विद्यालयों की महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी क्रमांक–5: सरकारी तथा निजी विद्यालयों की महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को दर्शाने वाला टी.अनुपात

प्रतिदर्श आधार	प्रतिदर्श संख्या	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	टी.अनुपात
सरकारी महिला अध्यापक	30	119.87	10.80	0.532*
निजी महिला अध्यापक	30	118.97	9.54	

*सार्थकता स्तर 0.05 पर

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 4 से स्पष्ट है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की महिला अध्यापकों का मध्यमान 119.87 तथा मानक विचलन 10.80 है तथा निजी प्राथमिक विद्यालयों की महिला अध्यापकों का मध्यमान 118.97 तथा मानक विचलन 9.54 है। टी.परीक्षण से प्राप्त टी.अनुपात 0.532 है, जो 0.05 के सार्थकता स्तर के मूल्य 2.04 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना 'सरकारी तथा निजी विद्यालयों की महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है', स्वीकृत की जाती है।

इस परिकल्पना का विश्लेषण करके यह पाया गया कि सरकारी तथा निजी विद्यालयों की महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है। अतः इससे स्पष्ट है कि सरकारी तथा निजी विद्यालयों की महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति समान है।

परिकल्पना–5: सरकारी विद्यालयों के पुरुष तथा महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी क्रमांक 6: सरकारी विद्यालयों के पुरुष तथा महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को दर्शाने वाला टी.अनुपात

प्रतिदर्श आधार	प्रतिदर्श संख्या	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	टी.अनुपात
सरकारी पुरुष अध्यापक	30	113.93	12.36	1.98*
सरकारी महिला अध्यापक	30	119.87	10.80	

*सार्थकता स्तर 0.05 पर

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 6 से स्पष्ट है कि सरकारी विद्यालयों के पुरुष प्राथमिक अध्यापकों का मध्यमान 113.93 तथा मानक विचलन 12.36 है तथा सरकारी विद्यालयों की महिला प्राथमिक अध्यापकों का मध्यमान 119.87 तथा मानक विचलन 10.80 है। टी.परीक्षण से प्राप्त टी.अनुपात 0.1.98 है, जो 0.05 के सार्थकता स्तर के मूल्य 2.04 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना 'सरकारी विद्यालयों के पुरुष तथा महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है', स्वीकृत की जाती है।

इस परिकल्पना का विश्लेषण करके यह पाया गया कि सरकारी विद्यालयों के पुरुष तथा महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है। अतः इससे स्पष्ट है कि सरकारी विद्यालयों के पुरुष तथा महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति समान है।

परिकल्पना–6: निजी विद्यालयों के पुरुष तथा महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

सारणी क्रमांक 7: निजी विद्यालयों के पुरुष तथा महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को दर्शाने वाला टी.अनुपात

प्रतिदर्श आधार	प्रतिदर्श संख्या	मध्यमान (M)	मानक विचलन (SD)	टी.अनुपात
निजी पुरुष अध्यापक	30	116.5	9.73	0.791*
निजी महिला अध्यापक	30	118.47	9.54	

*सार्थकता स्तर 0.05 पर

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 7 से स्पष्ट है कि निजी विद्यालयों के पुरुष प्राथमिक अध्यापकों का मध्यमान 116.5 तथा मानक विचलन 9.73 है तथा निजी विद्यालयों की महिला प्राथमिक अध्यापकों का मध्यमान 118.47 तथा मानक विचलन 9.54 है। टी.परीक्षण से प्राप्त टी.अनुपात 0.791 है, जो 0.05 के सार्थकता स्तर के मूल्य 2.04 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना 'निजी विद्यालयों के पुरुष तथा महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है', स्वीकृत की जाती है।

इस परिकल्पना का विश्लेषण करके यह पाया गया कि निजी विद्यालयों के पुरुष तथा महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अंतर नहीं है। अतः इससे स्पष्ट है कि निजी विद्यालयों के पुरुष तथा महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति समान है।

परिणामों की चर्चा

शोध में पाया गया कि अधिकतम अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति सामान्य व उससे अच्छी है। बेला, पुरस्कार एवं एम. अनीता (2008) ने भी अपने शोध में पाया कि समावेशी शिक्षा के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति सामान्य रूप से सकारात्मक है। अमित (2017) ने भी अपने अध्ययन में पाया कि शहरी शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं में समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति समान है। प्रस्तुत शोध में पाया गया कि पुरूष प्राथमिक अध्यापकों की तुलना में महिला प्राथमिक अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति अच्छी है। इसी तरह जैन (2017) एवं सुमिता व आचार्य (2010) ने भी अपने अध्ययन में पाया कि पुरूष अध्यापकों की तुलना में महिला अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति अधिक अच्छी है। इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि महिलाओं को पोषणकर्ता और भावात्मक देखभाल के प्रदाताओं के रूप में देखा जाता है, महिला अध्यापक बालकों के मनोवैज्ञानिक तथा व्यावहारिक पक्ष को पुरुष अध्यापकों की तुलना में ज्यादा ठीक तरीके से समझती हैं तथा इनका समाज और बालकों के माता–पिता से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। ये बालकों के सहपाठ्यक्रम में भी पुरुष अध्यापकों की तुलना में ज्यादा सहयोग प्रदान करती हैं, जबकि पुरुष अध्यापक सिर्फ प्रशासनिक कार्यों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस वजह से समावेशी शिक्षा के तहत सभी बच्चों को एक दृष्टि से देख पाती हैं और पुरुषों की अपेक्षा अधिक समावेश कर पाती हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

प्रस्तुत शोध–पत्र का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक तथा शिक्षिकाओं में समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना था तथा शोध के परिणामों के आधार पर निहितार्थ यह निकलता है कि सरकारी तथा निजी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को समावेशी शिक्षा के प्रति जागरुक किया जाए। विद्यालयों में जो शिक्षक काफी समय से शिक्षण कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाए जिससे वह यह जान सके कि कैसे विशिष्ट बालकों को भी सामान्य कक्षा में, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान की जाए, उनमें इस भावना का विकास किया जाए कि वह विशिष्ट बालकों को भी सामान्य बालकों की तरह ही समझे तथा उनमें हुए कौशल को जाने और उन्हें निखारने का प्रयास करें। जिससे विशिष्ट बालक भी अपनी प्रतिभा को निखारें और समाज के विकास में अपना योगदान प्रदान करें। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बालकों और बालिकाओं के मनोभाव, व्यवहार और उनकी आवश्यकताओं को महिला अध्यापक, पुरुष अध्यापक की तुलना में ज्यादा अच्छे तरीके से समझती हैं इसलिए महिला अध्यापकों को समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए जिससे वह सामान्य बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को भी पढ़ा सके और 'सभी के लिए शिक्षा' के लक्ष्य को पूरा करने में योगदान दे सकें। प्रस्तुत शोध में परिणाम प्राप्त हुआ है कि 10.83 प्रतिशत अध्यापक सामान्य अभिवृत्ति वाले हैं तथा 29.17 प्रतिशत अध्यापक, सामान्य से ऊपर अनुकूल अभिवृत्ति वाले हैं, अगर इन अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो इनमें समावेशन के प्रति अभिवृत्ति बढ़ेगी, परिणामस्वरूप समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता होगी।

सन्दर्भ सूची–

- बेलापुरकर, ए. एम. एवं पाठक, एस. वी. (2012). नॉलेज एण्ड एटीट्यूड अबाउट इन्क्ल्यूसिव एजूकेशन ऑफ स्कूल टीचर्स : ऐ स्टडी, स्कॉलरली रिसर्च जर्नल फॉर इण्टरडिस्पिलनरी स्टडीज, स्पेशल इश्यू retrieved from http://www.srjis.com/pages/pdfFiles/1469519545Belapurkar%20Mam.pdf
- घोष, एस. सी. (2017). इन्क्ल्यूसिव एजूकेशन इन इण्डिया : ए डेवलेपमेण्टल माइलस्टोन फ्रॉम सेग्रेगेशन टू इन्क्ल्यूशन, जर्नल ऑफ एजूकेशन सिस्टम, संस्करण 1 अंक 1 पेज सं0 53–62 retrieved from https://www.sryahwapublications.com/journal-of-educational-system/pdf/v1-i1/6.pdf
- शर्मा, ए. एवं चूनावाला, एस. (2013). मार्चिंग टूवर्डस इन्क्ल्यूसिव एजूकेशन : आर वी प्रीपेयर्ड फॉर इन्क्ल्यूसिव साइंस एजूकेशन, प्रोसीडिंग ऑफ इपस्टीम – 5, इण्डिया retrieved from https://dnte.hbcse.tifr.res.in/wp-content/uploads/2018/04/2013_AS_Inclusiveeducation_epi.pdf
- जैन, एम. (2017). ए स्टडी ऑफ एटीट्यूड ऑफ प्यूपिल टीचर्स टूवर्डस इन्क्ल्यूसिव एजूकेशन, ई. पी. आर. ए. इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ इकॉनामिक एण्ड विजनेस रिव्यू, संस्करण 5, अंक 10 retrieved from https://eprawisdom.com/jpanel/upload/articles/912am8.Dr.%20Manju%20Jain.pdf
- करन, इवैन्जलिन (2006). सर्वे ऑफ टीचर एटीट्यूड रिर्गाडिंग इन्क्ल्यूसिव एजूकेशन विद इन अर्बन स्कूल डिस्ट्रिक, पबलिस्ड डिजरटेशन, फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ आस्टीयोपैथिक मेडीसिन, फिलाडेल्फिया retrieved from https://digitalcommons.pcom.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1069&context=psychology_dissertations
- सिंह, आर. आर. एवं नामदेव, एच. (2014). भारत में समावेशी शिक्षा की दशा व दिशा, परिप्रेक्ष्य संस्करण 21, अंक 3
- सुमिता, एन. आर. एवं आचार्य, सुजाता (2010). एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टूवडर्स इन्क्ल्यूसिव एजूकेशन ऑफ द डिसएबल्ड, एजूट्रैक्स, संस्करण 10, अंक 3, पेज सं0 42–45।
- कालिता, उत्पल (2017). ए स्टडी ऑन एटीट्यूड ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स टूवर्डस इन्क्ल्यूसिव एजूकेशन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड एजूकेशन एण्ड रिसर्च, संस्करण 2, अंक 3, पृष्ठ सं0 127–130
- यूनेस्को, (2000). द डकार फ्रेमवर्क फॉर ऐक्शन, वर्ल्ड एजूकेशन फोरम, स्पेन retrieved from https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Dakar_Framework_for_Action_2000_en.pdf
- यूनेस्को, (2008). इन्क्ल्यूसिव एजूकेशन : द वे ऑफ फ्यूचर, इन्टरनेशनल कान्फ्रेंस ऑन एजूकेशन, retrieved from http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/General_Presentation-48CIE-English.pdf
- द सालमानका स्टेटमेन्ट, (1994). सालमानका वर्ल्ड कॉन्फ्रेन्स ऑन स्पेशल नीड्स एजूकेशन, सालमानका retrieved from https://unesdoc.unesco.org/search/18a18464-dc47-4d2b-91a6-5c1fb9f7bdab
- यूनेस्को, (2005). गाइड लाइन्स फॉर इन्क्ल्यूसन : इन्श्योरिंग एक्सेस टू एजूकेशन फॉर ऑल retrieved from http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/Guidelines_for_Inclusion_UNESCO_2006.pdf